न्यायालय उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
नीलम आदि बनाम हरवेल सिंह आदि
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रकरण संख्या 11 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/32

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पर सुनी गई, बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि प्रकरण संख्या 50/2015 अनवान नीलम आदि बनाम हरवेल सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए जैरकार था, जिसे वादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 व प्रतिवादीगण ने जानबुझकर मुझ प्रार्थिया/वादी संख्या 3 को धोखे में रखकर राजीनामा का कहकर, दिनांक 26.11.2019 को नोटप्रेस कर खारिज करवा दिया गया। मुझ प्रार्थिया का कोई राजीनामा नहीं हुआ हैं इसलिए उक्त अनवान प्रकरण का दावा रिस्टोर किए जाने के आदेश दिए जाकर प्रार्थिया को सुनवाई का अवसर दिया जावे। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रकरण संख्या 50/2015 अनवान नीलम आदि बनाम हरवेल सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए की आदेशिका के अनुसार वादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 व वादी संख्या 3 के अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर प्रकरण खारिज किया गया है। इसलिए उक्त अनवान प्रकरण का वादपत्र रिस्टोर किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी बाबत वादपत्र रिस्टोर भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	